बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः— **बिहार राज्य के एच0 आई0 वी0 संक्रमित व्यक्तियों के सहायतार्थ एंटी रेट्रोवाइरल थेरापी (ए0आर0टी0) केन्द्र पर आने–जाने के लिए प्रति व्यक्ति रू0 100/–(एक सौ) यात्रा अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के ए0आर0टी0 की मार्गदर्शिका के अनुसार ए0आर0टी0 केन्द्र में पंजीकृत सभी एच0आई0वी0 संक्रमित व्यक्तियों को प्रत्येक माह ए0आर0वी0 दवा लेने के लिए एवं प्रत्येक छः (6) महीने पर सी0डी0–4 जाँच कराने के लिए ए0आर0टी0 केन्द्र अथवा नजदीकी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल या सदर अस्पताल में जाना आवश्यक होता है। जैसे–जैसे एड्स की अवस्था करीब आती जाती है, वैसे–वैसे बीमारी की अवधि एवं गंभीरता बढ़ती जाती है। परन्तु आर्थिक तंगी के कारण वे समय पर स्वास्थ्य केन्द्रों पर नहीं पहुँच पाते हैं या अपना ए0आर0वी0 उपचार बीच में ही छोड़ देते हैं।

2. एच0आई0वी0 संक्रमित व्यक्ति समय पर ए0आर0टी0 केन्द्र में अपना पंजीकरण कराकर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से लाभान्वित होकर स्वस्थ एवं लम्बा जीवन व्यतीत कर सकें इसके लिए बिहार राज्य के एच0आई0वी0 संक्रमित व्यक्तियों के सहायतार्थ ए0आर0टी0 केन्द्र पर आने–जाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को यात्रा अनुदान देने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था।
3. सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार के द्वारा एच0आई0वी0 संक्रमित व्यक्तियों को ए0आर0टी0 केन्द्र/मेडिकल कॉलेज व अस्पताल/सदर अस्पताल में एच0आई0वी0 संक्रमित व्यक्तियों को आने–जाने हेतु यात्रा अनुदान के रूप में प्रति व्यक्ति 100/–(एक सौ रूपये) यात्रा अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
4. यह सुविधा बिहार के स्थायी निवासी और किसी भी ए0आर0टी0 केन्द्र में पंजीकृत रोगी को ही देय होगी तथा एच0आई0वी0 संक्रमित व्यक्तियों की पहचान और उनके ए0आर0टी0 केन्द्र पर आने के उद्देश्य के लिए बिहार के सभी ए0आर0टी0 केन्द्रों के सीनियर मेडिकल ऑफिसर/मेडिकल ऑफिसर अधिकृत होंगे।
5. इस योजना पर निम्न विवरणी के अनुसार अनुमानित आवर्त्तक व्यय रूपया 2,43,75,800/–(दो करोड़ तेंतालीस लाख पचहत्तर हजार आठ सौ रूपये) अनुमानित है, जिसका वहन सब्सिडी मद से किया जाएगा।

904 (ii) 12.09.2016

क्र0 सं0	ए0आर0टी0 केन्द्र में पंजीकृत एच0आई0वी0 संक्रमित व्यक्तियों की श्रेणी एवं संख्या	ए0आर0टी0 केन्द्र आने–जाने में अनुमानित वार्षिक व्यय राशि
1.	ए0आर0वी0 दवा का सेवन करने वाले एच0आई0वी0 संक्रमित व्यक्तियों की संख्या, जिन्हें प्रतिमाह ए0आर0टी0 केन्द्र पर आना आवश्यक है–15,532	15532 × रू0 100 × 12 माह = रू0 1,86,38,400/–
2.	प्रत्येक छः(6) माह पर सी0डी0 4 जॉंच कराने के लिए ए0आर0टी0 केन्द्र पर आनेवाले व्यक्तियों की संख्या जिन्हें ए0आर0टी0 केन्द्र पर आना आवश्यक है –28,687	28687 × रू0 100 × 2 बार = रू0 57,37,400
	कुल वार्षिक व्यय राशि	रू0 2,43,75,800(मात्र दो करोड़ तेतालीस लाख पचहत्तर हजार आठ सौ रूपये)

6. इस योजना पर होने वाले व्यय का वहन मांग संख्या–20 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी, लघु शीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष–0001–स्वास्थ्य निदेशालय, विपत्र कोड–N2210010010001 के विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी में राशि का उपबंध कराकर किया जाएगा।
7. प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–05.07.2016 के मद संख्या–12 द्वारा स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(शेखर चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक :– 11/एड्स(विविध)–02/2013–904(ii)/ पटना, दिनांकः– 12.09.2016

प्रतिलिपि :– उप सचिव, ई–गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के अगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 11/एड्स(विविध)–02/2013–904(ii)/ पटना, दिनांकः– 12.09.2016

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

D:\Ajay Kumar\AIDS\Sankalp.docx

ज्ञापांक :– 11/एड्स(विविध)–02/2013–.........904 (11).........../ पटना, दिनांकः– 12.09.2016

प्रतिलिपि :– सभी सिविल सर्जन,/सभी प्राचार्य एवं अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/ सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 11/एड्स(विविध)–02/2013–.........904 (11).........../ पटना, दिनांकः– 12.09.2016

प्रतिलिपि :– परियोजना निदेशक, BASAC /मा0 मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 11/एड्स(विविध)–02/2013–.........904 (11).........../ पटना, दिनांकः– 12.09.2016

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–7, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि संबंधित विपत्र कोड– N2210010010001 के विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी में वांछित राशि के उपबंध हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 11/एड्स(विविध)–02/2013–.........904 (11).........../ पटना, दिनांकः– 12.09.2016

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव